

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/राँची/हजारीबाग

मुख्य अभियंता (यॉ०), जल संसाधन विभाग

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड राँची।

राँची, दिनांक 23-03-17

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई	86.020

कुल आवंटित राशि - रुपये छियासी लाख दो हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के संशोधित बजट उपबंध राशि ₹ 5480.81 लाख (चौवन करोड़ अस्सी लाख एक्यासी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
11. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापन कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापन **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापन प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Access No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 310

रॉची, दिनांक :- 23-03-17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर/ गिरीडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 310

रॉची, दिनांक :- 23-03-17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

भाग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संचाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक: 310 दिनांक: 23-8-14 को अनुलानक

परिशिष्ट 1

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2016-2017	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय													राशि लाख रुपये में	
			वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतन	एलएटीडीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दूर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां	इंधन एवं अन्य व्यय	विधि प्रसार	कुल योग	अभिवृत्त
1	औरंगा निमाण अंचल, मेदिनीनगर	विपत्र कोड	49N27010300 1060101	49N270103001 060110	49N2701030 01060112	49N27010300 1060213	49N2701030 01060315	49N2701030 01060316	49N2701030 01060323	49N2701030 01060333	49N27010300 1060334	49N2701030 01060337	49N2701030 01060442	49N2701030 1060760		18	19
2	औरंगा निमाण अंचल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	65.000	0.000	0.200	0.200	0.600	0.000	0.250	0.150	0.150	0.000	0.950	0.000	0.000	67.500	
3	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अतिरिक्त आवंटन	4.000	0.000	0.000	0.000	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.040	
4	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अवतन	69.000	0.000	0.200	0.200	0.640	0.000	0.250	0.150	0.150	0.000	0.950	0.000	0.000	71.540	
5	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	पूर्व का आवंटन	67.400	0.000	0.610	0.610	0.550	0.000	0.100	0.150	0.250	0.050	0.800	0.050	0.050	69.960	
6	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अतिरिक्त आवंटन	2.600	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.650	
7	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अवतन	70.000	0.000	0.610	0.610	0.600	0.000	0.100	0.150	0.250	0.050	0.800	0.050	0.050	72.610	
8	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	पूर्व का आवंटन	65.000	0.000	0.610	0.610	0.200	0.000	0.000	0.050	0.350	0.000	0.300	0.000	0.000	66.510	
9	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अतिरिक्त आवंटन	17.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17.000	
10	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अवतन	82.000	0.000	0.610	0.610	0.200	0.000	0.000	0.050	0.350	0.000	0.300	0.000	0.000	83.510	
11	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	पूर्व का आवंटन	150.050	0.000	1.100	1.100	0.650	0.000	0.000	0.200	0.575	0.000	0.000	0.100	0.100	152.675	
12	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अतिरिक्त आवंटन	9.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000	
13	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अवतन	159.050	0.000	1.100	1.100	0.650	0.000	0.000	0.200	0.575	0.000	0.000	0.100	0.100	161.675	
14	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	पूर्व का आवंटन	160.000	0.000	0.600	0.600	0.500	0.000	0.000	0.150	0.450	0.100	0.000	0.200	0.200	162.000	
15	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अतिरिक्त आवंटन	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	
16	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अवतन	163.000	0.000	0.600	0.600	0.500	0.000	0.000	0.150	0.450	0.100	0.000	0.200	0.200	165.000	
17	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	पूर्व का आवंटन	42.000	0.000	0.700	0.700	0.550	0.000	0.250	0.120	0.000	0.000	1.200	0.000	0.000	44.820	
18	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	0.000	0.600	0.000	0.000	0.620	
19	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अवतन	42.000	0.000	0.700	0.700	0.550	0.000	0.250	0.140	0.000	0.000	1.800	0.000	0.000	45.440	
20	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	पूर्व का आवंटन	239.080	0.000	0.650	0.650	0.550	0.000	0.000	0.250	0.950	0.300	0.000	0.350	0.350	242.130	
21	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अतिरिक्त आवंटन	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.190	0.000	0.000	0.000	5.190	
22	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अवतन	244.080	0.000	0.650	0.650	0.550	0.000	0.000	0.250	0.950	0.490	0.000	0.350	0.350	247.320	
23	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	पूर्व का आवंटन	256.000	0.000	0.900	0.900	0.500	0.000	0.450	0.200	1.200	1.700	0.000	0.200	0.200	260.150	
24	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अतिरिक्त आवंटन	15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.050	
25	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अवतन	270.000	0.000	0.900	0.900	0.500	0.000	0.450	0.250	1.200	1.700	0.000	0.200	0.200	275.200	
26	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	पूर्व का आवंटन	299.550	0.000	0.450	0.450	0.450	0.000	0.000	0.150	1.100	3.000	0.900	1.100	1.100	306.700	
27	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.150	0.150	
28	कदवन बॉय प्रमंडल, नगर डेटारी गढ़वा	अवतन	299.550	0.000	0.450	0.450	0.450	0.000	0.000	0.150	1.100	3.000	0.900	1.100	1.100	306.850	

(रवेता कुमार)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौधरी)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

वित्तीय वर्ष 2016-2017		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटोसाइकिल		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	केन	15.11.2000 के पूर्व का		एल०डी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटोसाइकिल ईंधन एवं मरिचकाईयाँ	विधि प्रसार	कुल योग	अभिवृत्ति					
			विच कोड	के पूर्व का													यात्रा व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
10	जलपथ प्रमंडल, राँची		390.000	0.000	0.200	0.850	0.850	0.000	0.600	0.100	1.100	0.500	0.000	0.200	394.400						
	अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.090						
11	जलपथ प्रमंडल, बिशुपुर्, पाटन		52.000	0.000	0.100	0.650	0.350	0.000	0.200	0.100	1.100	0.500	0.000	0.200	394.490						
	अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	1.050	0.600	55.150						
12	रूपकाण एवं भौति० प्र०, हजारीबाग		52.000	0.000	0.100	0.650	0.350	0.000	0.200	0.000	0.000	0.200	1.050	1.000	55.550						
	अतिरिक्त आवंटन		30.000	0.000	0.000	0.200	0.750	0.000	0.400	0.130	0.000	0.000	0.550	0.000	32.030						
13	विशेष भू-अवतन पदावतन कोयल पश्चि० मेदिनीनगर		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050						
	अतिरिक्त आवंटन		143.640	0.000	0.000	0.500	0.250	0.000	0.150	0.050	0.650	0.000	0.800	0.250	146.290						
14	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, मंडल, (लाहौर) शिहिर मेदिनीनगर		28.170	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.240	0.000	28.460						
	अतिरिक्त आवंटन		171.810	0.000	0.000	0.500	0.300	0.000	0.150	0.050	0.650	0.000	1.040	0.250	174.750						
14	प्रमंडल, मंडल, (लाहौर) शिहिर मेदिनीनगर		168.000	0.000	0.000	0.200	0.550	0.000	0.200	0.050	0.600	0.000	0.850	0.050	170.500						
	अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	0.000	0.320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.320						
14	अतिरिक्त आवंटन का योग		168.000	0.000	0.000	0.520	0.550	0.000	0.200	0.050	0.600	0.000	0.850	0.050	170.820						
	अतिरिक्त आवंटन का योग		83.770	0.000	0.000	0.320	0.190	0.000	0.040	0.120	0.000	0.190	0.840	0.550	86.020						

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया धूल्य मानते हुए नये सिरे से विपरीकरण के आधार पर ही मूगलान अनुमान है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि--

रुपये छियासी लाख दो हजार मात्र

(स्वता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन कोरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

310
23-03-14